न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री दौलतराम चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 40 /2019

वादी :—	बनाम	प्रतिवादीगणः—
1 भंवरलाल पुत्र मोहनलाल, जाति मेघवाल, नि0 मामावास, तह0 सोजत, जिला पाली।	1	किस्तुर राम पुत्र तेजाराम वगेरह जाति मेघवाल वगेरह, नि0 मामावास, तह0 सोजत, जिला पाली।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट0 1955
राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

उपस्थितिः—

2. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 10 व 11 उपस्थित।
1. श्री लक्ष्मण मेघवाल अधिवक्ता वादी उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक 08/04/2021

अधिवक्ता प्रति0 संख्या 10 व 11 ने दिनांक 30.09.2017 को प्रा0 पत्र अन्तार्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत् इस आशय का पेश किया कि अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट0 1955 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है कि वादी ने सरहद मौजा ग्राम मामवास के खसरा नंबर 121 रकबा 17.8100 हैक्टर की कृषि भूमि होना बताकर वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया गया है। वादी ने तथ्यों को छुपाते हुए वाद पेश किया है। वादी कतई स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नही आया है। वादी ने पुराने दस्तावेज जमाबंदी को आधार बताकर वाद पेश किया है। जबकि खसरा नंबर 121 रकबा 17.8100 हैक्टर का बंटवाड़ा खातेदारान के मध्य पूर्व में हो चुका है। जिससे नये खसरा नबंर 121, 121/1, 121/2, 121/3 से 121/20 एक अलग—अलग खसरे बने है। उक्त कृषि भूमि के खसरा नबंर 121/14 से 121/20 को गैर मुमकिन आवासीय ईकाई प्रयोजनार्थ आबादी में संपरिवर्तन की जा चुकी है, जिसमें संपरिवर्तन आदेश प्रा0 पत्र के साथ संलग्न है। उक्त कृषि भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु संपरिवर्तन की जा चुकी है। वर्तमान में उक्त कृषि भूमि आबादी भूमि है। जिसके आधार पर राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण भी दर्ज हो चुका है। उक्त कृषि भूमि का आवासीय प्लान भी बनाया गया है, जिससे उक्त कृषि भूमि का उपयोग, उपभोग आबादी के रूप में की जा रही है तथा उकत भूमि कृषि भूमि के रूप मे नही रही है। उक्त विवादग्रस्त भूमि कृषि भूमि नही होकर आबादी भूमि है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि कृषि भूमि के रूप मे नही होने से यह वाद न्यायालय हाज को सुनने का कतई अधिकार नही है। आबादी भूमि से सम्बन्धित सुनने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है। वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित है। वादी का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 से भी बाधित है। वादी ने अपने वाद पत्र में खसरा नंबर 121 की पुरानी जमाबंदी पेश कर वाद पेश किया गया है। वर्तमान में राजस्व रेकर्ड जमाबंदी के अनुसार भी उक्त भूमि की किस्म कृषि भूमि न होकर आबादी भूमि है। उक्त भूमि को आबादी में संपरिवर्तन किया जा चुका है। यदि उक्त आबादी भूमि में किसी प्रकार का वाद विवाद हो तो वाद सुनने की क्षेत्राधिकारिता सिविल न्यायालय को हैं अतः अधिवक्ता मय प्रति0 संख्या 10 व 11 ने उक्त प्रस्तुत प्रा0 पत्र स्वीकार कर वादी का वाद सव्यय खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 10 व 11 द्वारा आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रस्तुत प्रा0 पत्र का जबाब दिनांक 12.02.2021 को पेश कर अधिवक्ता वादी ने अंकित किया कि मौजा मामावास के खसरा नंबर 121 रकबा 17.8100 हैक्टर की कृषि भूमि ही है उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय हाजा में एक राजस्व वाद किस्तुरराम द्वारा पेश किया था, जिसके राजस्व वाद संख्या 43/1998 है। जिसका निर्णय दिनांक 21.12.2001 को प्रतिवादी किस्तुरराम के पक्ष में हुआ था। लेकिन उपरोक्त बंटवाडा की जानकारी वादी को बाद में होने पर श्रीमान आर0ए0ए0 पाली के न्यायालय में अपील सं0 34 /2010 पेश की थी। जिस अपील में माननीय न्यायाल राजस्व अपील अधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय द्वारा दिनांक 18.05.2015 को न्यायालय हाजा में पुनः रिमांड इस आशय से की थी, सभी खातेदारान पक्षकारान को पुनः सुना जाकर नए सिरे से निर्णय पारित किया जावे। तभी प्रतिवादी सख्या 01 किस्तुरराम द्वारा आर0ए0ए0 पाली के निर्णय दिनांक 18.05.2015 के आदेश विरूद्ध राजस्व मंडल अजमेर में एक निगरानी पेश की थी, जिसके प्रकरण संख्या 3525/2015 है, जो आज भी विचाराधीन है जिसकी आगामी पेशी मुकर्रर है अर्थात् पक्षकारो के मध्य बंटवाड़े का अन्तिम निर्णय होना बाकी है। फिर भी किस्तुरराम द्वारा प्रतिवादी संख्या 10 व 11 को बेचने एवं आबादी में करवाने का कोई अधिकार नही होते हुए भी गलत तरीके से आबादी मे सम्परिवर्तित कराने का कोई अधिकार नहीं है, क्योकि प्रत्येक इंच पर वादी का भी हक व हिस्सा है। इसलिए बिना विधिक बंटवाडा करवाये व्यक्ति विशेष को मनमर्जी से आबादी में करवाने का कोई अधिकार शेष नही रहता है। साथ ही वादी द्वारा अन्य खसरा नंबर 39 एवं 120 का भी वाद पेश किया है। इसलिए धारा 207 आरटीएक्ट की परिधि में यह वाद नहीं आता है। खसरा नंबर 121 का विधिवत बटवाडा भी नही हुआ है तो बटटा नम्बरान गलत तरीके से बताये गए है। बंटवाडे सम्बन्धित प्रकरण राजस्व मंडल अजमेर में विचाराधीन है। बंटवाडे के अभाव में संपरिवर्तन आदेश निरस्त ही होगा, नामान्तरकरण गलत तरीके से दर्ज करवाया गया है। क्योकि न्यायालय हाजा द्वारा बंटवाडे की डिक्री को आधार मानकर नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। वह डिक्री निर्णय आर0ए0ए0 पाली द्वारा दिनांक 18.05.2015 को निरस्त किया जा चूका है। इसलिए नामान्तारण एवं आवासीय प्लान आपने आप ही निरस्त योग्य है। खसरा नंबर 121 अभी पुराना ही माना जायेगा क्योकि खसरा नंबर 121 की बंटवाडे की डिक्री निरस्त की जा चुकी है। इसलिए वादी भंवरलाल का प्रत्येक स्थान पर हक व अधिकार है। इसलिए वर्तमान समय में राजस्व मंडल अजमेर में विचाराधीन निगरानी संख्या 3525/2015 किस्तुरराम बनाम भंवरलाल वगैरह के अधीन कृषि भूमि ही रहेगी। इसलिए आबादी भूमि नहीं होकर कृषि भूमि ही है। इसलिए उपरोक्त वाद को सुनने का निर्णय करने का अधिकार न्यायालय हाजा को ही है। इस प्रकार अधिवक्ता वादी ने जबाब प्रा0 पत्र मय न्यायिक दृष्टांत/उद्धहरण RRT 2011 (2) पेज 1395–96 अधिवक्ता मय प्रति0 सं0 10 व 11 द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 07 नियम 11 सीपीसी का खारिज योग्य होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रति0 अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट 1955 के तहत दिनांक 20.05.2019 को पेश किया तथा उल्लेख किया कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 1 से 9 की खातेदारी कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम माममावास प0 हल्का मामावास तह0 सोजत पाली में आई हुई हे। जिसके खसरा नमबर 121, 39, 120 रकबा 19.0800 हैक्टर किस्म चाही तृतीय, बारानी प्रथम, गे0मु0बेरा उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में आता है। इसी प्रकार 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 एवं 1/3

Scanned with CamScanner

हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 से 9 का स्थित है। इसी अनुसार मौके पर भौतिक रूप से अपने हक हिस्से पर काबिज है। उपरोक्त कृषि भूमि का कानूनन बंटवाडा करवाने हेतु पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 किस्तुरराम द्वारा, किस्तुरराम बनाम बाबुलाल वगेरा के नाम से राजस्व वाद संख्या 43/1998 के न्यायालय में विचाराधीन था, जिसका निर्णय दिनांक 21.12.2001 को प्रतिवादी संख्या 01 किस्तुरराम के पक्ष में निर्णित किया गया। लेकिन वादी को उपरोक्त बंटवाडा की विधिवत जानकारी न होने के कारण वादी ने न्यायालय हाजा में दिनांक 21.12.2001 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के न्यायालय में अपील संख्या 34 /2010 प्रस्तुत की। जिस अपील में श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के द्वारा दिनांक 18.05.2015 को असिटेन्ट कलक्टर सोजत के निर्णय दिनांक 21.12.2001 को निरस्त करने हुए पुनः श्रीमान के न्यायालय में पत्रावली को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया था कि तीनों पक्षो की उपस्थिति में तहसीलदार सोजत स्वयं मौके पर जाकर विधिवत बंटवाडा तैयार कर जिस निर्णय दिनांक 18.05.2015 के आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 किस्तुरराम द्वारा निगरानी प्रस्तुत की है। जिसके निगरानी संख्या 3525 /2015 है, जो माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन हैं, उपरौकत राजस्व वाद न्यायालय में विचाराधीन रहते हुए प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अन्य व्यक्तियो को खसरा संख्या 121 की कृषि भूमि में से बिना कोई कानूनन बंटवाडा करवाये आगे से आगे बेचान कर मौके पर निर्माण कार्य ताबड तोड चालू करवा दिया है, जो निर्माण वर्तमान मे विचाराधीन है। वादी द्वारा श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय एवं वर्तमान में विचाराधीन निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी का हवाला देकर निर्माण कार्य हेतु पहुंचा लेकिन मौके पर प्रतिवादी संख्या 01 अपनी मनमर्जी से अन्य लोगो को कृषि भूमि बेचान कर निर्माण कार्य करवाया जाकर लोगो को ताबड तोड कब्जा करवा रहा है, बार–बार निवेदन करने के बाद भी प्रतिवादीगण निर्माण कार्य बंद नहीं कर रहे है। जिसकी रिपोर्ट भी वादी भंवरलाल द्वारा पुलिस थाना सोजत रोड में पेश की। थानाधिकारी सोजत रोड द्वारा मौके पर निर्माण कार्य रूकवाया गया है, उसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जिन लोगो को कृषि भूमि बेचान की गई है उन लोगो का मौके पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं होते हुए भी जबरदस्ती कब्जा करवाया जा रहा है। इसलिए यह राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जा रहा है। बिनायदावा दिनांक 15.05.2019 को प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा अन्य व्यक्ति नारायणलाल, अचलाराम, भोमाराम वगैरह द्वारा मौके पर वादी के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी कर ताबड–तोड़ निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इसलिए विरूद्ध प्रतिवादीगण के पैदा हुआ, जो अन्द म्याद पेश है। वादस्थ कृषि भूमि ग्राम मामावास में होने के कारण न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने वादपत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की पारित किये जाने की, कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 121, एक किस्म चाही तृतीय की सम्पूर्ण कृषि भूमि में प्रतिवादीगण तमाम किसी अन्य व्यक्ति को बेचान, बक्सीस, रहन इत्यादि नहीं करे एवं किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करे एवं अन्य किसी नौकर, एजेन्ट इत्यादि से निर्माण कार्य नहीं करवाये प्रति0 को पावन्द किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी जबाब प्रा0 पत्र मय दस्तावेजात एवं बहस उभयपक्ष तथा अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक/दृष्टांत/उद्धरण का गहनतापूर्वक अध्ययन कर गौर एवं मनन किया गया। अधिवक्त मय प्रति0 संख्या 10 व 11 द्वारा

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत 07 नियम 11 सीपीसी के संलग्न फहरिस्त मय दस्तावेजात अनुसार ख0न0 121 की भूमि में भूमि संपरिवर्तित करवाई गई तथा संपरिवर्तित भूमि के नये ख0न0 बंटवाडा पश्चात् दिये गये है तथा तत्पश्चात् कृषि भूमि से ख0न0 121/14 से 121/20 गै0मु0 आवासीय ईकाई प्रयोजनार्थ आबादी में संपरिवर्तित की जा चुकी है जो संपरिवर्तन आदेश से स्पष्टतः प्रमाणित है। उक्त संपरिवर्तित भूमि के नामान्तिरकरण भी हो चुके है। आवासीय प्लान को भी तस्दीक तहसीलदार, सोजत द्वारा किया गया है। जबाब तथा बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने खातेदारी भूमि होने से सम्बद्ध राजस्व रेकर्ड के वर्तमान राजस्व रेकर्ड दस्तावेजात तथा कृषि भूमि प्रमाणीकरण के कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये हैं वस्तुतः उक्त वादपत्र में वर्णित विवादस्थ भूमि कृषि भूमि नहीं होकर संपरिवर्तित आबादी भूमि दर्ज हो चुकी है तथा मौके पर भी प्लान आदि से कृषि भूमि नहीं होना प्रमाणित है। पूर्व में प्रस्तुत राजस्व वाद के निर्णय की अपील तथा निगरानी में वाद न्यायिक प्रक्रियाधीन निर्णय पारित करने के पश्चात् हक अधिकार विनिश्चित किये जा सकेंगे। वास्तविक रूप से विवादग्रस्त भूमि कृषि भूमि नहीं होकर आवासीय प्रयोजनार्थ अर्थात् आबादी भूमि है। इस हेतु न्यायालय हाजा का श्रवणाधिकार/क्षेत्राधिकार नहीं होने से उक्त वाद पोषणीय नहीं है, अर्थात् क्लीन हैण्ड से पेश नहीं किया है। धारा 188 के तहत प्रस्तुत ऐसे वाद में स्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना ही विधि विरूद्ध प्रतीत होता है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत/उद्धरण भी प्रस्तुत परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित प्रतीत नहीं होते है। लिहाजा अधिवक्ता मय प्रतिवादी संख्या 10 व 11 द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। फलस्वरूपः अधिवक्ता मय वादी द्वारा सारहीन तथ्यहीन एवं आधारहीन होने से तथा न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकारिता से बाहर होने से उक्त वाद खारिज किया जाना उचित समझते है।

—:आदेशः—

अत उपरोक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता मय प्रतिवादी संख्या 10 व 11 द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। फलस्वरूपः अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का सारहीन तथ्यहीन एवं आधारहीन होने से तथा न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकारिता से बाहर होने से खारिज किया जाता है।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 08/04/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

Scanned with CamScanner

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी श्री दौलतराम चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 40 /2019

वादी :– बनाम

1. भंवरलाल पुत्र मोहनलाल, जाति मेघवाल, नि0 माामावास, तह0 सोजत, जिला पाली।

प्रतिवादीगणः–

1. किस्तुर राम पुत्र तेजाराम वगेरह जाति मेघवाल वगेरह, नि0 मामावास, तह0 सोजत, जिला पाली।
2. सुखीया बेवा बाबुलाल
3. गोदाराम पुत्र बाबुलाल
4. लक्ष्मी पुत्री बाबुलाल
5. सीता पुत्री बाबुलाल
6. नर्बदा पुत्री बाबुलाल
7. चन्द्राराम पुत्र भैराराम
8. केवलराम पुत्र भैराराम
9. पुखाराम पुत्र भैराराम तमाम जातिगण मेघवाल, नि0 मामावास, तह0 सोजत जिला पाली राज0।
10. छैलाराम पुत्र तुलसाराम जाति सीरवी नि0 मामावास तह0 सोजत जिला पाली।
11. राजुराम पुत्र नामालुम जाति सोनी नि0 मामावास तह0 सोजत जिला पाली राज0।
12. तहसीलदार,(भूमिधारक) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट0 1955

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री लक्ष्मण मेघवाल एवं श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अधिवक्ता मय प्रतिवादी संख्या 11 व 12 द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रावधानों से परिपूर्ण होने से स्वीकार किया जाता हैं फलस्वरूप अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद चलने योग्य नहीं होने तथा क्षेत्राधिकारिता से परे व सारहीन, तथ्यहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

Scanned with CamScanner

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 08.04.2021 को जारी की गई।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			

Scanned with CamScanner